



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in, Website: www.durguniversity.ac.in, Phone - 0788-2359400

क्र./ 480/ अका./शोध/2019

दुर्ग, दिनांक 04/11 /2019

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक 45 के प्रावधान अनुसार शोध उपाधि समिति (RDC) ने विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यरत निम्न अध्यापको को उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित विषय के लिए शोध निर्देशक मान्य किया है ।

क्र.	विषय	शोध निर्देशक
1	वाणिज्य	1 डॉ. एम. माधुरी देवी (सहायक प्राध्यापक) भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9 भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
		2 डॉ. विजय कुमार वासनिक (सहायक प्राध्यापक) शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उपरोक्त शोध निर्देशको को यह निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी आदेशो/नियमों/सूचनाओं/अधिसूचनाओं एवं विश्वविद्यालय द्वारा शोध निर्देशन एवं शोध से संबंधित समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/निर्देशों/सूचनाओं एवं शोध निर्देशक हेतु जारी आंरक्षण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे ।

नोट : उपर्युक्त सूची में दर्शित शोध निर्देशकों को संलग्न स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भर कर विश्वविद्यालय अकादमिक के पी-एच.डी सेल में पत्र जारी दिनांक से दो दिवस के अंदर संबंधित प्राचार्य द्वारा अग्रेषित कर पी-एच.डी. सेल में अनिवार्य रूप से जमा करावें ।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ. क्र. 481 /अका./शोध/2019

दुर्ग, दिनांक 04/11 /2019

प्रतिलिपि :-

1. प्राचार्य संबंधित विषयों के शोध केन्द्रों को सूचनार्थ ।
2. संबंधित शोध निर्देशक को सूचनार्थ ।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय को ।
4. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
5. उप कुलसचिव गोपनीय/परीक्षा, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
6. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सहायक कुलसचिव (अका.)

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र

मैं प्राध्यापक / सह-प्राध्यापक / सहा. प्राध्यापक.....
विषय महाविद्यालय का नाम
प्रमाणित करते हुए घोषणा करता / करती हूँ कि छ.ग. संघ लोक सेवा आयोग / विश्वविद्यालय परिनियम-28 / अन्य
..... के प्रावधान अनुसार मेरी नियुक्ति संबंधित महाविद्यालय में
..... विषय हेतु की गई है एवं मेरे द्वारा उक्त विषय में ही अध्यापन संबंधी कार्य
कराया जाता है । तथा यह भी कि विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक-45 एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा
समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का मेरे द्वारा स्पष्ट रूप से अवलोकन किया गया है । यह कि शोध निर्देशक हेतु
आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई समस्त दस्तावेज / अंकसूची और उक्त घोषण पत्र में दिये गये विवरण / तथ्य मेरी
व्यक्तिगत जानकारी एवं विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। मैं मिथ्या विवरणों / तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भाँति
अवगत हूँ । मैं विश्वविद्यालय द्वारा जारी समस्त आदेशों / सूचनाओं / निर्देशों / अधिसूचनाओं / आरक्षण नियमों का
पालन करूँगा / करूँगी । यदि मेरे द्वारा उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन किया जाता है या आवेदन पत्र में दिये गये कोई
भी विवरण / तथ्य / प्रमाण पत्र मिथ्या पाया जाता है, तो विश्वविद्यालय द्वारा मेरा / मेरी शोध निर्देशक की मान्यता
समाप्त करने संबंधी कार्यवाही या अन्य कोई कार्यवाही अथवा विधि के अंतर्गत अभियोजन एवं दण्ड दिया जाता है तो
इसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा / होऊँगी।

स्थान :

सह शोध निर्देशक के हस्ताक्षर

दिनांक :

सह शोध निर्देशक का नाम

मो. नं.

.....
संबंधित महाविद्यालय
प्रचार्य के हस्ताक्षर एवं सील